30.5.25 पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थीगण द्वारा आवेदन U/O 6 R 17 CPC एवं प्रार्थीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाता है, विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 127 / 2006 तारीख दायरा 06.10.2006

उनवान

1. गुलाब शंकर पुत्र रामनारायण जाति बैरवा,
2. राजेन्द्र कुमार उर्फ राजेन्द्र पुत्र रामनारायण जाति बैरवा निवासीगण ग्राम घाटोल्या तहसील सांगोद जिला कोटा। – प्रार्थीगण

बनाम

1. चन्दालाल पुत्र भंवरलाल जाति बैरवा,
2. जमनालाल पुत्र चन्दालाल जाति बैरवा,
3. रामहेतार पुत्र चन्दालाल जाति बैरवा निवासीगण ग्राम घाटोल्या तहसील सांगोद जिला कोटा।

– अप्रार्थीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर. टी. एक्ट 1955 के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट

उपस्थित :– दिनांक :–

श्री ओम प्रकाश शर्मा (वकील प्रार्थीगण)

श्री नरेश कुमार गौतम (वकील अप्रार्थीगण)

––निर्णय––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि –

- प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे काश्त में अन्य सहखातेदारान के साथ माल ग्राम घाटोल्या पटवार क्षेत्र कुन्दन्पुर तहसील सांगोद के माल में ख.न. 102 रकबा 1.90 हैक्टर बारानी

Scanned with OKEN Scanner

दोयम भूमि स्थित है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी को काबिज काश्त कर अपना एवं अपने परिवार का शांति पूर्वक पालन पोषण करते हैं। प्रार्थीगण ने अपनी उपरोक्त आराजी में सरसों बोने के लिए हाँक जोतकर सावनी छोड रखी है। जिसे प्रार्थीगण में सरसों बोने के लिए तैयार कर करीब 20 दिन पूर्व अपने खाते एवं कब्जे काश्त की उपरोक्त आराजी में सरसों बोने के लिए गये, तो अप्रार्थीगण । लगायत 3 भी वहां पर आ गये एवं प्रार्थीगण को अपनी उपरोक्त आराजी में सरसों बोने से रोकने लगे एवं कहा कि इस खेत में आधी आराजी पर हम सरसों बोयेंगे क्योकि तुमने हमारे खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी पर कब्जा कर रखा है। प्रार्थीगण ने मुश्किल से अप्रार्थीगण को आपसी समझाईश कर वापस लौटा दिया, परन्तु जाते जाते प्रार्थीगण को धमकी दी है कि हम उपरोक्त वर्णित आराजी के आधे हिस्से पर कब्जा करके रहेंगे। चाहे तुम लोगों ने सरसों बो दी है, परन्तु काटकर तो हम ही तैयार करेंगे। अप्रार्थीगण ग्राम के ताकतवर व्यक्ति है एवं अप्रार्थीगण ने ग्राम में एक नाजायज गिरोह बना रखा है, जिसके बल पर आये दिन अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को परेशान करते रहते है एवं प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी पर कब्जा करने पर आमादा रहते है।

- अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पारित फरमायी जावे कि प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की माल ग्राम घाटोल्या पटवार क्षेत्र कुन्दनपुर तहसील सांगोद के माल की खतौनी 12 खसरा न0 102 रकबा 1.10 हेक्टर बारानी दोयम भूमि में प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त, कृषि कार्य एवं उपरोक्त आराजी के उपयोग उपभोग में अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार की मदाखलत मजामहत न तो स्वयं करे, न ही अपने नौकरों व एजेन्टों के माध्यम से करावे।
- अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के हक में एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध निम्न आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला जारी फरमाई जावे कि प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी को शांति पूर्वक उपयोग उपभोग करने दें, साथ ही विवादित आराजी पर प्रार्थीगण को काश्त करने में बाधा उत्पन्न नही करे, उक्त कृत्य न तो अप्रार्थीगण स्वयं करें और ना ही अपने किसी नौकर, एजेन्ट आदि से करावें।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की तलबी हो चुकी है। अप्रार्थी न0 1 त

Scanned with OKEN Scanner

की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश कुमार गौतम द्वारा वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र मय उन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्न प्रकार हैं–

- प्रार्थीगण ने मात्र राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज होने के कारण वास्तविक तथ्यों को छिपाकर मौके के कब्जे काश्त व आपसी विभाजन को छिपाकर पक्षकारान के शामलाती हक व कब्जे काश्त की विवाद ग्रस्त आराजी के संबंध में दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया है।
- मामले की वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पिता स्व. रामनारायण जी व आप्रार्थी चन्दालाल दोनों सगे भाई हैं। दोनो भाईयों ने शामलाती आय से माल ग्राम घाटोल्या की वादग्रस्त ख.न. 69 की 11 बीघा 15 बिस्वा आराजी पूर्व खातेदार स्व. भीमसिंह ठिकाना कुन्दनपुर से क्रय की थी, किन्तु प्रार्थीगण के स्व. पिता रामनारायण अप्रार्थीगण का बडा भाई होने के नाते वक्त खरीद उक्त शामलाती क्रयशुदा आराजी को बडे बाई रामनारायण ने ही आने नाम से राजस्व रिकार्ड में खाते लगवा ली, जबकि शामलाती रूप से क्रय होने से विवादग्रस्त आराजी आज दिन तक वक्त खरीद से 1/2 हिस्से में अप्रार्थी सं. 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा विवादग्रस्त आराजी साबिक ख.न. 69 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा हाल ख.न.102 रकबा 1.90 है. में से पूर्वी 1/2 हिस्से को आपसी पारिवारिक विभाजन के अनुसार अप्रार्थी सं. 1 व पश्चिमी 1/2 हिस्से को प्रार्थीगण के स्व. पिता रामनारायण व उनके बाद उनके वारिस प्रार्थीगण काश्त करते चले आ रहे हैं। अप्रार्थी सं. 1 ने इस वर्ष भी अपने हिस्से में सरसों की फसल बोई है किन्तु राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण का नाम दर्ज होने से प्रार्थीगण के मन में बदनियती आ गई है तथा उक्त मुकदमे की आड में प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी में निहित अप्रार्थी सं. 1 के 1/2 हिस्से में से अप्रार्थी को बेदखल करने, रहन, विक्रय, हस्तान्तरण करने, मदाखलत मजामहत करने पर आमादा है, जिन्हें यदि अस्थाई निषेधाज्ञा से उक्त कृत्य न करने हेतु पाबन्द नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी जिसकी भविष्य में पूर्ति नहीं हो सकेगी।
- अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे तथा अप्रार्थीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे विवादित आराजी की पूर्वी दिशा में अप्रार्थी सं.1 के 1/2 हिस्से में प्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज होने के आधार पर अप्रार्थी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में मदाखलत मजामहत, क्षति, नुकसान,

Scanned with OKEN Scanner

खुदबुर्द, रहन, हस्तान्तरण आदि न करे। उक्त कृत्य ना तो स्वयं करें और ना ही अपने किसी नौकर, ऐजेन्ट आदि से करावें।

जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत होने के उपरान्त प्रार्थीगण द्वारा काउन्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्न प्रकार है –

- वादग्रस्त आराजी को प्रार्थीगण के पिता श्री रामनारायण जी जाति बैरवा निवासी घाटोल्या ने स्व. भीमसिंह निवासी कुन्दनपुर से विक्रय मूल्य की राशि अदा खरीदा है।
- प्रार्थीगण के पिता रामनारायण व चन्दालाल काफी वर्षों पूर्व ही अलग हो गये, अलग अलग होने के बाद प्रार्थीगण के पिता स्व० रामनारायण जी में वादग्रस्त आराजी सांबिक ख.नं. 69 की 11 बीघा 15 बिस्वा आराजी खरीदी थी। खरीद के बाद से ही आराजी पर प्रार्थीगण के पिता कब्जे काश्त होकर बहैसियत रिकार्डेड खातेदार आराजी का उपयोग उपभोग करते रहे हैं एवं उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त आराजी में प्रार्थीगण ही काबिज काश्त है। गत वर्ष प्रार्थीगण ने उसमें सरसों की फसल बोई है। वादग्रस्त आराजी के किसी भी हिस्से पर अप्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है और ना ही वादग्रस्त आराजी पारिवारिक विभाजन में अप्रार्थी चन्दालाल को प्राप्त हुई है।
- प्रार्थीगण के मन में कोई द्वेषता अप्रार्थीगण के प्रति नहीं है। प्रार्थीगण ने वाद पत्र पूर्व न्यायालय में चल रहे वाद चन्दालाल बनाम गुलाब शंकर वगैरा की द्वेषता के कारण प्रस्तुत नहीं किया है। वरन, अप्रार्थी सं. 1 ने बदनियती पूर्वक वाद चन्दालाल बनाम गुलाब शंकर में निहित वादग्रस्त आराजी जो प्रार्थीगण के पिता व चन्दालाल को शामलाती रूप में आवंटन हुई थी, आवंटन आदेश को दरकिनार कराकर व राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर आवंटन पट्टे के तथ्यों को छुपाकर पूरी 14 बीघा आराजी अवैध रूप से अपने खाते बंधवा ली, जबकि वक्त आवंटन से ही उक्त आराजी पर प्रार्थीगण के पिता का कब्जा काश्त बहैसियत खातेदार कृषक रहा है। अप्रार्थी चन्दालाल द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय में वाद पत्र पेश करने व प्रार्थीगण का तामील होने पर प्रार्थीगण द्वारा आवंटन ओदश की नकल एस.डी.ओ. रामगंजमण्डी के कार्यालय से प्राप्त करने व उक्त तथ्यों का उल्लेख करने से अप्रार्थी चन्दालाल के मन में बोखलाहट आ गई व प्रार्थीगण के खाते व कब्जे की आराजी पर षडयंत्र पूर्वक ताकत के बल पर कब्जा करने पर आमादा है।

Scanned with OKEN Scanner

अतः जवाब उल जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला पारित फरमावें।

प्रकरण में जवाब उल जवाब प्रस्तुत होने के उपरान्त पत्रावली बहस प्रार्थना पत्र में नियत की गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब उल जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया गया तथा अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम में वर्णित तथ्यों को दौहराया गया।

मेरे द्वारा बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.सी.पी के अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए निम्न लिखित तीन शर्तों की पालना आवश्यक है –

1. क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?
3. क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

(क) क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य उस मामले से है जिसमें उसके समर्थन में दी गई साक्ष्य पर विश्वास किया जा सके अर्थात मामले में ठोस व मजबूत रूप से स्थापित हुआ कहा जा सके। इस प्रकार ऐसा मामला जिसे यदि, विरोधी पक्ष खण्डित नहीं कर सके तो ऐसे मामले को प्रथम दृष्टया मामला माना जायेगा। कोई मामला प्रथम दृष्टया है अथवा नहीं, इसको सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर होता है। वह शपथ पत्र या साक्ष्य द्वारा यह सावित करे कि उसके हक में प्रथम दृष्टया मामला है।

प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थीगण विवादित आराजी में 1/2 हिस्से के अधिकारी है अथवा नहीं इसका निर्णय दावे में तनकीवार साक्ष्य ली जाकर ही संभव है। वर्तमान में प्रार्थीगण विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार हैं। इस कारण वर्तमान में प्रकरण प्रार्थी के लिए प्रथम दृष्टया माना जा सकता है।

(ख) क्या सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?

अस्थाई निषेधाज्ञा चाहने वाले पक्षकार को सुविधा का संतुलन अपने पक्ष में होना, बताना होगा। इसके लिए प्रार्थी द्वारा जिस सुविधा का लाभ चाहा गया है उसके लिए उसका स्वयं विवादित आराजी पर काबिज होना आवश्यक है। साथ ही प्रार्थी को दी जाने वाली सुविधा से अप्रार्थीगण को कोई विधिसंगत असुविधा भी नहीं होनी चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजी पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनों पक्षों द्वारा अपना
का कब्जा होना व्यक्त किया गया है, परन्तु दोनों पक्षों द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज, साक्ष्य, सबूत
इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कब्जा सिद्ध हो सके। इस कारण वर्तमान में सुविधा का
संतुलन प्रार्थीगण/ अप्रार्थीगणके पक्ष में प्रबल नहीं है। कब्जे का निर्धारण दावे में तनकीवार साक्ष्य
ली जाकर ही संभव है।

(ग) क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

किसी भी प्रकरण में प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजी पर होने वाली हानि से ऐसी क्षति हो जाये जिसकी पूर्ति भविष्य में होना संभावित नहीं हो और प्रार्थी को अनेक मानसिक व आर्थिक समस्याओं का सामना करना पडे तो इस प्रकार का नुकसान प्रार्थी के लिए अपूरणीय क्षति होगा।

हस्तगत प्रकरण में विवादित आराजी में प्रार्थीगण पूर्व से ही रेकार्डेड खातेदार है, अप्रार्थीगण खातेदार नहीं है। ऐसी स्थित में प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की संभावना प्रबल नहीं हैं। अप्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी में 1/2 हिस्से पर अधिकार एवं कब्जा होना व्यक्त किया गया है। प्रकरण में विवादित आराजी पर अधिकार होने अथवा नहीं होने का निर्धारण प्रकरण में तनकीवार साक्ष्य ली जाकर ही संभव है। इस स्तर पर विवादित आराजी अन्यत्र हस्तान्तरण हो जाती है तो प्रकरण में वाद बहुलता की बढ जायेगी। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

—: आदेश :—

उपरोक्तानुसार आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के अनुसार नियत निर्धारित
र्तों बाबत किये गये उपरोक्त समस्त विवेचन, अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस के कथनों
र मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर
धोपांत अवलोकन अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रकरण में प्रार्थीगण
पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता है, सुविधा संतुलन प्रार्थीगण/अप्रार्थीगण के पक्ष में नहीं
तथा अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति की संभावना होने की संभावना है। प्रकरण में प्रार्थीगण
अप्रार्थीगण, दोनों पक्षों द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट की आवश्यक शर्तो
आंक्षिक पूर्ण किया गया है। प्रकरण में पूर्व से आगामी तारीख पेशी तक अस्थाई स्थगन
देश जारी किये हुए हैं। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण द्वारा
तुत काउन्टर स्वीकार किये जाना योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र

Scanned with OKEN Scanner

र्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट एवं अप्रार्थीगण का काउन्टर स्वीकार किया जाकर आदेश दिये ते हैं कि –

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 को जरिये ताफैसला मूल वाद अस्थाई षेधाज्ञा जारी कर पाबन्द किया जाता है कि माल ग्राम घाटोल्या पटवार क्षेत्र कुन्दनपुर हसील सांगोद के माल में ख.न. 102 रकबा 1.90 हैक्टर बारानी दोयम आराजी पर राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाए रखे। उक्त कृत्य न तो स्वयं करें और ना ही अपने किसी नौकर, ऐजेन्ट आदि से करावें।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 30-5-2025 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Scanned with OKEN Scanner